बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
कार्यालय आदेश

अधिसूचना सं0–3/स्था0अं0अ0 (संविदा)–01/2013–379(3)/रा0, दिनांक– 4/10/2013

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में राज्य के सभी जिलों में भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण/सर्वेक्षण कार्यक्रम को समय–सीमा के अंदर संपादित कराने हेतु विभाग द्वारा गठित त्रिसदस्सीय समिति से अनुशंसित निम्नांकित सेवानिवृत्त कर्मियों को सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पद पर विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–979 दिनांक–20.06.2012 के आलोक में कुल 20000/– (बीस हजार) रूपये निर्धारित मासिक मानदेय पर संविदा के आधार पर बन्दोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से अगले एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले धटित हो, तक के लिए नियोजित कर कॉलम–5 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :–

क्रमांक	आवेदक का नाम/पिता का नाम/पत्राचार का पता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	पद एवं पदस्थापन स्थान
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	श्री रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव पिता–स्व0 कमला प्रसाद, मित्र मंडल कॉलनी, फेज–2, पटना पब्लिक स्कूल के पास, हसनपुरा रोड, बेऊर, पटना	12.11.49	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय पूर्णिया
2	श्री विध्याचल प्रसाद पिता–स्व0 हरिहर प्रसाद, ग्रा0+पो0–रून्नी सैदपुर, (थाना से पूरब) थाना–रून्नी सैदपुर, जिला–सीतामढ़ी	20.10.50	अनु0जनजाति	बन्दोबस्त कार्यालय बेगूसराय
3	श्री उपेन्द्र प्रसाद रजक पिता–स्व0 ब्रजमोहन रजक, उर्द्धबाजार, पो0–भागलपुर सीटी, थाना–तातारपुर, जिला–भागलपुर	01.08.52	अनु0जाति	बन्दोबस्त कार्यालय मोतिहारी
4	श्री कमल किशोर गुप्ता पिता–स्व0 सीताराम गुप्ता, मो0–आनन्दपुरी, सदर ब्लॉक के समीप, पो0–कॉलोनी मोड, जिला–हजारीबाग, झारखंड	08.06.51	पि0वर्ग	बन्दोबस्त कार्यालय मोतिहारी
5	श्री देवेन्द्रनाथ तिवारी पिता–स्व0 बिन्देश्वरी तिवारी, द्वारा डी0एन0 तिवारी, गंगा भवन, मौला बाग, आरा, भोजपुर	05.01.51	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय कटिहार

2. उपर्युक्त चयनित कर्मियों का अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक होगी। इनके कार्यों की समीक्षा इनके नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। नियंत्री पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर आवश्यकतानुसार इनकी सेवाएँ विस्तार 2014–15 तक के लिए की जा सकती है।

3. इनके द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा समय–समय पर इनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। अगर इनका कार्य संतोषजनक नहीं हुआ तो बिना किसी कारण पृच्छा किये इन्हें उक्त पद एवं कार्य से विमुक्त कर दिया जायेगा।